न्यायालय:--न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला, जिला बैतूल (म०प्र०) (पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

<u>दांडिक प्रकरण कमांक0-638/12</u> <u>संस्थापित दिनांक 03/12/12</u> फाईलिंग नम्बर 233504000902012

मध्य प्रदेश शासन द्धारा आरक्षी केन्द, थाना आमला जिला बैतूल (म०प्र०)

____अभियोजन

-: विरूद्ध:-

किशोर पिता बलीराम, उम्र 24 वर्ष, जाति मेहरा, व्यवसाय मजदूरी, नि0 पुरानी बोड़खी, थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

____अभियुक्त

<u>—: निर्णय :—</u> (आज दिनांक— 31/08/2016 को घोषित)

- 1— अभियुक्त के विरूद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25(1—बी) बी के तहत् अभियोग है कि घटना दिनांक 02.12.12 को समय 18.00 बजे या लगभग पुरानी बोडखी के पास सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी मय वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी रखे पाया। जो कि म0प्र0 राज्य की अधिसूचना कं0—6312—6552(2)बी(1) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।
- 2— अभियोजन का मामला संक्षेप मे इस प्रकार है कि सूचनाकर्ता पुलिस चौकी बोडखी थाना आमला में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। दिनांक 02/12/12 को करबा भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति पुरानी बोडखी में हाथ में लोहे की छुरी लेकर लोगों को डरा धमका रहा है कि सूचना तस्दीक को हमराह स्टाफ की मदद से घेराबन्दी कर पकड़ा पूछताछ किया तो उसका नाम किशोर पिता बलीराम जगदेव उम्र 20 साल नि0 पुरानी बोडखी का बताया तथा अवैध शस्त्र रखने बाबत् लायसेंस पूछा तो नहीं होना बताया तथा समझ गवाहन चिरोंजी एवं लक्ष्मण की विधिवत् मुताबिक जप्ती पत्रक के 18:00 बजे एक लोहे की छुरी जप्त कर कब्जे पुलिस लिया गया। मौके पर सील बन्द किया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत घटित करना पाया जाने से प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
 - प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी० ४ है। जिसके आधार पर अपराध क्रमांक

357/12 में 25 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। दिनांक 02.12.12 सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्रदर्शपी—1 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किया है। दिनांक 02.12.12 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदेशपी—2 तैयार किया गया। प्रकरण में अधिसूचना प्र0पी0 5 संलग्न की गई। विवेचना पूर्ण करने के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4— अभियुक्त के विरूद्ध धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहां कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने अभियुक्त कथन के दौरान प्रकरण में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

5— : न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :--

"क्या घटना दिनांक 02.12.12 को समय 18.00 बजे या लगभग पुरानी बोडखी के पास सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी मय वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी रखे पाया?"

—ः <u>निष्कर्ष एवं उसके आधार</u>ः— विचारणीय प्रश्न क0 1 का निराकरण

6— अभियोजन साक्षी पंचमसिंह उईके (अ०सा०४) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसने उप०िनरीक्षक टी०आर० धुर्वे के साथ पुलिस थाना आमला में लगभग 6 माह काम किया है। वह उनकी हस्तिलिप एवं हस्ताक्षर से परिचित है। वर्तमान में उनकी मृत्यु हो गई है। उनके द्वारा पुलिस थाना आमला के अपराध कमांक 357/12 अंतर्गत धारा 25 आर्म्स एक्ट की विवेचना की गई थी। प्रकरण में संलग्न जप्ती पत्रक प्र०पी० 1 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी० 2 उनकी हस्तिलिप में है जिसके बी से बी भागों पर उनके हस्ताक्षर है। प्रकरण में संलग्न प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 4 उनकी हस्तिलिप में है जिसके ए से ए एवं बी से बी भागों पर उनके हस्ताक्षर है। प्रकरण में संलग्न प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 4 उनकी हस्तिलिप में है जिसके ए से ए एवं बी से बी भागों पर उनके हस्ताक्षर है। प्रकरण में संलग्न साक्षी चिरोंजी एवं लक्ष्मण के कथन उनकी हस्तिलिप में है। जिस पर उनके हस्ताक्षर है। उनके द्वारा प्रकरण में प्र०पी 5 की अधिसूचना प्र०पी० 6 एवं 7 का अंतिम प्रतिवेदन एवं आरटीकल ए1 का लोहे की छुरी प्रकरण में प्रस्तुत की गई है। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 2 में स्वीकार किया है कि उक्त प्रकरण की कार्यवाही में वह उपस्थित नहीं था और थाना आमला में भी वह घटना के समय पदस्थ नहीं था। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि वह यह नही बता सकता कि धुर्व साहब ने किससे छुरी जप्त किया था केवल वह हस्ताक्षर व हस्तिलिप जानता है।

7— इस प्रकार इस गवाह के द्वारा प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि इस गवाह के द्वारा घटना के समय या घटना में इस गवाह के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। साथ ही इस गवाह ने अपनी साक्ष्य में लोहे की छुरी की लंबाई व चौड़ाई नहीं बताया है, क्योंकि सभी छुरीयाँ प्रतिबंधित आकार की नहीं मानी जा सकती। साथ ही जप्ती पत्रक प्र0पी0 1 के स्वतंत्र साक्षी चिरोंजीलाल रावत (अ0सा03) एवं लक्ष्मण (अ0सा05) ने भी सम्पत्ति जप्ती पत्रक का समर्थन नहीं किया है। उक्त दोनों साक्षी स्वतंत्र गवाह है और उक्त दोनों गवाहों की साक्ष्य को अविश्वास किए जाने का कोई कारण नहीं होती। ऐसी परिस्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि लोक स्थान पर अभियुक्त के कब्जे से लोहे के छुरी की जप्ती बनाई गई।

अभियोजन साक्षी संतोष गिरी (अ०सा०1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना दिनांक को चौकी प्रभारी धुर्वेजी को सूचना प्राप्त हुई थी। आरोपी किशोर बोडखी में छुर्री से डरा धमका रहा है। सूचना में धुर्वेजी के साथ मौके पर पहुँचा था जहां उपनिरीक्षक धुर्वेजी ने आरोपी किशोर से एक छुरी जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया था और आरोपी को छुरी सहित बोड़खी आमला आ गये थे। यह गवाह भी प्र0आर0 है और पुलिस का हितबद्ध साक्षी हैं। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 2 में स्वीकार किया है कि उक्त घटना कौन से दिन कौन से तारिख की है उसे आज याद नहीं है कि घटना कितने बजे की है सुबह की है या शाम की है उसे नहीं मालूम। आगे गवाह ने स्वतः कहा कि अधिक समय हो जाने के कारण उसे याद नहीं है। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसे आज याद नहीं है कि उक्त घटना बोडखी में कहां की है और घटना स्थल कहां का है। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी किस राहगीर को धमका रहा था उसे नहीं मालूम। इस प्रकार इस गवाह को घटना का घटना स्थल नहीं मालूम और किस राहगीर को धमका रहा था यह भी नहीं मालूम। ऐसी परिस्थिति में यह तथ्य विश्वसनीय नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त के कब्जे से सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 1 की जप्ती कर सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 1 बनाई गयी।

9— अभियोजन साक्षी संतोष मालवीय (अ०सा०२) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह उपनिरीक्षक टी०आर० धुर्वे के साथ करबा भ्रमण पर था शाम 6 बजे उन्हें पुरानी बोडखी में आरोपी किशोर हाथ में लोहे की धारदार छुरी लेकर लोगों को डराते धमकाते मिला था, तो धुर्वे साहब ने लोहे की छुरी आरोपी से जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 2 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि धुर्वे के कहने पर उसके साथ हमराह गया था। अर्थात् यह गवाह पुलिस का हितबद्ध साक्षी है क्योंकि यह गवाह आरक्षक है और इस गवाह ने यह भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि किस लोक स्थान से अभियुक्त के कब्जे से लोहे की एक छुरी की जप्ती कर सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र०पी० 1 बनाया। साथ ही जप्ती के स्वतंत्र साक्षी चिरोंजीलाल (अ०सा०३) एवं लक्ष्मण (अ०सा०५) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। उक्त गवाहों की साक्ष्य के अभाव में इस गवाह की साक्ष्य विश्वनीय प्रतीत नहीं होती।

10-

(अं०सा०५) ने सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र०पी० 1 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी० 2 का अपनी साक्ष्य से समर्थन नहीं किया है।

- 11— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी रखे पाया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं0 1 का निराकरण ''अप्रमाणित'' रूप से किया जाता है।
- 12— उपर्युक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी रखे पाया। इस प्रकार अभियुक्त किशोर को आयुध अधिनियम की धारा 25(1—बी) बी के अपराध के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है।
- 13— प्रकरण में धारा 313 दं०प्र०सं० के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किए गए। आरोपी का धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।
- 14— प्रकरण में जप्त शुदा एक लोहे की छुरी मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का आदेश मान्य किया जावेगा।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म0प्र0 (धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला, जिला बैतूल म०प्र0